Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सवाई माधोपुर में पुलिस थाना रंवाजना डूंगर के हैड कानि. श्री रणजीत सिंह को रिश्वत राशि 10,000/- रूपये लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, 21 अप्रेल, सोमवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी चौकी सवाई माधोपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री रणजीत सिंह हैड कानि. 40 पुलिस थाना डूंगर को परिवादी के खिलाफ पुलिस थाना रांजना डूंगर में दर्ज परिवाद को रफा-दफा करने की एवज में रणजीत सिंह हैड कानि. द्वारा परिवादी से दस हजार रिश्वत राशि की मांग की गई। जिस पर रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 20.04.2025 को 10,000/- रूपये रिश्वत की मांग करना तथा रिश्वत मांग सत्यापन के अनुसरण में वक्त ट्रेप कार्यवाही दिनांक 21.04.2025 को रेल्वे स्टेशन खांजना डूंगर के पास स्थित चाय की थडी के सामने रिश्वत राशि 10,000/- रूपये प्राप्त करते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रिश्वत राशि बरामद हो चुकी है। मौके पर कार्यवाही जारी है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया कि एसीबी चौकी सवाई माधोपुर को एक शिकायत इस आशय की प्राप्त हुई की करीबन 15 दिन पहले मेरे व मेरे गांव के रहवासी के बीच झगड़ा हो गया था। उक्त झगड़े की रिपोर्ट मेरे खिलाफ पुलिस थाना रवांजना डूंगर में कर दी गई। इसकी जानकारी 2-3 दिन पहले पुलिस थाना रवांजना डूंगर के पुलिसकर्मी रणजीत सिंह द्वारा मुझे दी और एससी एसटी के केस में न फसाने और मामले को रफा दफा करने के बदले में मुझसे व मेरे साले से दस हजार रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी रेंज भरतपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेश सिंह** के सुपरविजन में एसीबी चौकी सवाई माधोपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा** के नेतृत्व में आज मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री रणजीत सिंह हैड कानि.40 पुलिस थाना रवांजना डूंगर को परिवादी से दस हजार रूपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपियों से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।